

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक- 23/3/26

विषय- सामान्य प्रशासन विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल ₹ 1,41,72,114/- (एक करोड़ इकतालीस लाख बहत्तर हजार एक सौ चौदह रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

कार्यपालक अभियंताओं के द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग की निम्न कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कुल ₹ 1,41,72,114/- (एक करोड़ इकतालीस लाख बहत्तर हजार एक सौ चौदह रुपये) मात्र का व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	भवन प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई0डी0 संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या / दिनांक	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	भवन प्रमंडल, समस्तीपुर	30535	Construction work of B and D Type Residential Quarter for Employees and Officers in Samastipur District under the State Plan Scheme	1887 / 31.01.25	1,26,38,482/- (एक करोड़ छब्बीस लाख अड़तीस हजार चार सौ बयासी रुपये)
2.	भवन प्रमंडल, कटिहार	30407	Renovation of Boundary wall in the Campus of SDO Residence Building Manihari Katihar Dist. for the Year 2025-26	18573 / 26.09.25	13,41,067/- (तेरह लाख इकतालीस हजार सड़सठ रुपये)
3.	भवन प्रमंडल, जहानाबाद	30624	Dismantling of Existing Santri Post and Construction of Santri Post at District Magistrate Residence Jehanabad	9785 / 30.05.25	1,92,565/- (एक लाख बानवे हजार पाँच सौ पैंसठ रुपये)
कुल योग:-					1,41,72,114 /-

(एक करोड़ इकतालीस लाख बहत्तर हजार एक सौ चौदह रुपये)

- उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के मुख्य शीर्ष-4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-01-सरकारी रिहायशी भवन लघु शीर्ष-051-निर्माण-उपशीर्ष-0102-आवासीय भवनों का निर्माण - सामान्य प्रशासन विभाग के लिए विपत्र कोड-03-4216010510102 के विषय शीर्ष-53-मुख्य कार्य-0102.53.01 मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2025-26 में किया जाएगा।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
- इस राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी।
- प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस.म. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

पटना, दिनांक- 23/3/26

ज्ञापांक- 2835 (अ)

प्रतिलिपि-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।